APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत.........उपखण्ड अधिकारी.........मुकाम.........कोटा.........

.........प्रिंस गोचर.........बनाम.........सरकार.........

किस्म मुकदमा.........L.R. Act - 136.........नं. ....163.........सन्.........2025.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली हो। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस की जो सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के पिता श्री हेमराज गोचर पुत्र श्री रामलाल गोचर जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का मोहल्ला नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के कब्जे व खाते की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 261 पुराना 225 के खसरा संख्या 1318 रकबा 0.1300 है0, खसरा संख्या 1319 रकबा 0.0800 है0, खसरा संख्या 1320 रकबा 0.1200 है0, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.1100 है0, खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1600 है0, खसरा संख्या 1335 रकबा 0.0900 है0, खसरा संख्या 1340 रकबा 0.0900 है0, खसरा संख्या 1341 रकबा 0.0700 है0, खसरा संख्या 906 रकबा 0.0300 है0, खसरा संख्या 908 रकबा 0.0200 है0, खसरा संख्या 909 रकबा 0.1400 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.0400 है0 में हिस्सा 1/9–1/9 हिस्सा अर्थात कुल हिस्सा 2/9 हिस्सा निहित है। प्रार्थी के पिता ने उक्त दोनो हिस्से 1/9–1/9 दोनों अलग अलग व्यक्तियों से खरीद की थी जिसका नामान्तरणकरण 1/9–1/9 भाग में अलग अलग दर्ज खाते हो गया है। लेकिन इनका संपूर्ण हिस्सा 2/9 है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कृषि भूमि वाके ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 261 पुराना 225 के खसरा संख्या 1318 रकबा 0.1300 है0, खसरा संख्या 1319 रकबा 0.0800 है0, खसरा संख्या 1320 रकबा 0.1200 है0, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.1100 है0, खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1600 है0, खसरा संख्या 1335 रकबा 0.0900 है0, खसरा संख्या 1340 रकबा 0.0900 है0, खसरा संख्या 1341 रकबा 0.0700 है0, खसरा संख्या 906 रकबा 0.0300 है0, खसरा संख्या 908 रकबा 0.0200 है0, खसरा संख्या 909 रकबा 0.1400 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.0400 है0 में प्रार्थी के पिता के नाम अलग अलग दर्ज 1/9–1/9 हिस्से को एक कर 2/9 हिस्सा दर्ज किया जावे। प्रकरण में तहसील लाडपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम नान्ता के खाता संख्या 261 में खातेदार हेमराज गोचर पुत्र	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामलाल गोचर का नाम जमाबंदी में दो बार पृथक पृथक प्रदर्शित हो रहा है।उक्त खातेदार के पृथक पृथक प्रदर्शित हिस्सों क्रमशः 1/9 तथा 1/9 को जोडकर हिस्सा 2/9 किया जाकर डबल एन्ट्री दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि खातेदार हेमराज पुत्र रामलाल के नाम हिस्सा 1/9, 1/9 पृथक पृथक दर्ज है। तहसील लाडपुरा द्वारा भी उक्त डबल एन्ट्री का एक कर खाता दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 261 पुराना 225 के खसरा संख्या 1318 रकबा 0.1300 है0, खसरा संख्या 1319 रकबा 0.0800 है0, खसरा संख्या 1320 रकबा 0.1200 है0, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.1100 है0, खसरा संख्या 1330 रकबा 0.1600 है0, खसरा संख्या 1335 रकबा 0.0900 है0, खसरा संख्या 1340 रकबा 0.0900 है0, खसरा संख्या 1341 रकबा 0.0700 है0, खसरा संख्या 906 रकबा 0.0300 है0, खसरा संख्या 908 रकबा 0.0200 है0, खसरा संख्या 909 रकबा 0.1400 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.0400 है0 में खातेदार हेमराज गोचर पुत्र रामलाल गोचर की डबल एन्ट्री को एक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	